संख्या– /XXVIII(1)/2017-57(मे0का0)/2015-TC

प्रेषक,

डी0 सेन्थिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग
107 चन्दर नगर, देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 23 फरवरी, 2017।

विषयः– **राजकीय दून मेडिकल कालेज, चिकित्सालय में स्थापित सी0टी0 स्कैन मशीन के लम्बित देयक का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में राजकीय दून मेडिकल कालेज देहरादून की स्थापना के अर्न्तगत मानक मद 29–अनुरक्षण के सापेक्ष प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–847/XXVII (1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 में उल्लिखित निर्देशों एंव आपके पत्र संख्या 26प/चि0शि0/197/2015/110 दिनांक 10 जनवरी, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में स्थापित सी0टी0 स्कैन मशीन के अनुरक्षण से सम्बन्धित लम्बित देयकों का भुगतान लेखाशीर्षक–2210–05–105 –04–0406 दून मेडिकल कालेज की स्थापना के अर्न्तगत आयोजनागत पक्ष की मानक मद– 29 अनुरक्षण में प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कालेज, देहरादून के निर्वतन पर रखी अवशेष धनराशि रू0 20.00 लाख के सापेक्ष की धनराशि **रू0 12,87,954/– (रू0 बारह लाख सत्तासी हजार नौ सौ चव्वन मात्र)** की प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

i. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यतानुसार ही किया जाय तथा धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक आवश्यकतानुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

ii. बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

iii. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

iv. स्वीकृत की जा रही धनराशि तथा व्यय धनराशि का लेखा जोखा रखा जायेगा। प्रशासनिक/बजट नियत्रंण अधिकारी द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का लेखा–जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इस का महालेखाकार से मिलान करते हुए मिलान की प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 तथा बजट निदेशालय को प्रेषित किया जाय।

v. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखानुदान में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–आयोजनागत–05–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति–04–मेडिकल कालेज–0406–राजकीय दून मेडिकल कालेज देहरादून की स्थापना हेतु मानक मद–29 अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि क नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

57(चि0शि0)/2015T.C.

सं0– 64 /XXVIII(1)/2017-32(चि0का0)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कालेज, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03 एंव 01 उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।